

भारत सरकार  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीएन विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
अंधरी(पूर्व), मुंबई-400 096.

सं. सीएन-सेज/पॉलिसी/62/11-12/13614

दिनांक:-18.11.2014

**सार्वजनिक सूचना 16/2014-15**

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यने एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग तथा मॉनिटरिंग सिस्टम (इडीपीएमएस) के नाम से एक व्यापक केन्द्रीकृत आइ टी सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम के अधीन एक्सपोर्ट डाटा प्राइमरी सोर्स से स्वतः आरबीआइ को तथा वहाँ से डाटा आरबीआइ द्वारा एक्सपोर्टर्स के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सीधे एडी बैंकों को भेजे जा सकेंगे। इस सिस्टम से एक्सपोर्ट से संबंधित नियमों का अनुपालन, विभिन्न एजेन्सियों को डाटा की झूलिकेट रिपोर्टिंग में कमी तथा ग्राहक सेवा में सुधार लाया जा सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे अधिक मूल्यों के तथा गंभीर प्रकृति के सौदाँ पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसे नए सिस्टम से बैंकों के लिए एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से सभी रिटर्नों को भेज पाना सरल हो जाएगा। जिससे प्राधिकृत डीलर बैंकों पर डाटा रिपोर्टिंग का भार भी कम हो जाएगा। आरबीआइ तथा सेज ( एनएसडीएल) के बीच डाटा के प्रेषण का परीक्षण सफल हो चुका है।

**उपर्युक्त का ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :**

- I. यूनिट अब कस्टम के रिकार्ड तथा संबंधित यूनिटों के रिकार्ड के लिए शिपिंग बिलों तथा इंड्री बिलों की प्रतियाँ नहीं भेजेंगे। तथापि यूनिट से कस्टम पोर्ट तथा इसके विपरीत माल के संचलन तथा लेट एक्सपोर्ट आर्डर अथवा आउट ऑफ चेंज की स्वीकृति से संबंधित शिपिंग बिल तथा इंड्री बिल जैसी की स्थिति हो, विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार प्रेषित तथा पृष्ठांकित किए जाते रहेंगे।
- II. इंड्री बिलों के मामले में केवल डूलिकेट तथा एक्सचेंज कंट्रोल प्रति (चार प्रतियों में ) भिजवाई जानी आवश्यक है।
- III. एमएमटीसी से एक्सपोर्ट संबंधी शिपिंग बिल जो जेम तथा ज्वैलरी से संबंधित हों, की केवल दूसरी तथा तीसरी प्रतियां भिजवाई जानी आवश्यक हैं।
- IV. ऐसे शिपिंग बिल जो जेम तथा ज्वैलरी के एक्सपोर्ट से संबंधित हों, की दूसरी तथा तीसरी प्रति के अलावा गेट पीओ तथा एअरपोर्ट पर पृष्ठांकन के लिए इसकी चौथी प्रति भी भिजवाई जानी आवश्यक है।

**यह विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।**

  
(पी. एस. रामन)

संयुक्त विकास आयुक्त  
सीएन-सेज.

प्रतिलिपि :-

1. सीएन-सेज के सभी यूनिट-सीएन-सेज
2. जेम एंड ज्वैलरी-सीएन-सेज
3. सीमा-सीएन-सेज
4. एमएमटीसी
5. एनएसडीएल
6. कॉम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट के लिए
7. नोटिस बोर्ड